पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदनों पर मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण ज्ञापन मांगा

लखनऊः 26 अक्टूबर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर लोकायुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा जांच में दोषी पाये गये श्री कृष्णपाल सिंह यादव जिला विद्यालय निरीक्षक, श्री संजीव कुमार अधिशाषी अभियंता तथा श्री राम स्वरूप, अधीक्षण अभियंता के संबंध में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार की गयी कार्यवाही एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन मांगा है। मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण ज्ञापन प्राप्त होने के बाद राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री को भेजेंगे ताकि उसे राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा जाये। स्पष्टीकरण ज्ञापन हेतु मुख्य सचिव को प्रेषित प्रकरणों में (1) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चांदपुर कुसमहरा, आजमगढ़ को निर्माणाधीन होने के बावजूद मान्यता प्रदान करने हेतु श्री कृष्णपाल सिंह यादव, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़, (2) बरेली नलकूप मण्डल की तीन लिफ्ट कैनालों (क) हाजीपुर, (ख) अटानिया एवं (ग) फतेहगंज पूर्वी में निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण न होने पर भी संबंधित ठेकेदार को सम्पूर्ण भुगतान किये जाने के संबंध में श्री संजीव कुमार तत्कालीन अधिशाषी अभियंता नलकूप खण्ड द्वितीय बरेली, तथा (3) कानपुर नगर के माती बस अड्डे के निर्माण के टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता हेतु श्री राम स्वरूप, अधीक्षण अभियंता, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 कानपुर नगर के प्रकरण सम्मिलित हैं।

राज्यपाल ने लोकायुक्त उत्तर प्रदेश से प्राप्त विशेष प्रतिवेदनों के विधिक परीक्षणोंपरान्त पाया था कि लोकायुक्त द्वारा अपनी जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध जांच एवं कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी थी। लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12(4) के अंतर्गत विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात भी संबंधित प्रकरण पर कार्यवाही की अनुपालन आख्या लोकायुक्त नहीं प्रेषित की गयी थी। कार्यवाही न होने पर लोकायुक्त ने राज्यपाल को 30 सितम्बर 2017, 9 अक्टूबर 2017 एवं 17 अक्टूबर 2017 को लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12(5) के अंतर्गत विशेष प्रतिवेदन प्रेषित किये थे।

अंजुम/ललित/राजभवन (407/27)